



**THE MADHYA PRADESH STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED (M.P. GOVT. UNDERTAKING)**

HEAD OFFICE : "PANCHANAN" 3rd FLOOR, MALAVIYA NAGAR, BHOPAL- 462003  
Phone (0755) - 2551652, 2551756, 2551807 Fax: 0755-2557305 E-Mail : mpagrohbpl@gmail.com  
Website : www.mpstateagro.org (CIN NO. U01119MP1969SGC001055)

मुख्या/विपणन/T.D. IMP - 10 (P-II) / 2026-27 / 875

दिनांक : 30.06.2026

प्रति,

क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),  
जिला प्रबंधक (समस्त),  
.....

विषय : ISI MARKED AND TESTED TRACTOR / POWER DRIVEN AGRICULTURAL EQUIPMENT & SELF PROPELLED AGRICULTURAL MACHINERY की दरों का प्रसारण।

संदर्भ : मुख्यालय द्वारा ISI MARKED AND TESTED TRACTOR / POWER DRIVEN AGRICULTURAL EQUIPMENT & SELF PROPELLED AGRI. MACHINERY हेतु जारी आरसीओ दिनांक 20.11.2025

निगम के माध्यम से ISI MARKED AND TESTED TRACTOR/ POWER DRIVEN AGRICULTURAL EQUIPMENT & SELF PROPELLED AGRICULTURAL MACHINERY हेतु "ऑन-लाईन" रेट कॉन्ट्रैक्ट ऑफर आमंत्रित किया गया था, आफर में प्राप्त दरों को अंतिम करने हेतु समिति की बैठक में समिति द्वारा की गयी अनुशंसा अनुसार निर्माताओं से सहमति प्राप्त कर अनुबंध संपादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की क्रय-विक्रय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित निम्नानुसार रहेंगी :-

**M/S DURGA AGRICULTURE INDUSTRIES - ADDRESS - NANAKHEDI, A.B. ROAD, GUNA (MP) 473001 CONTACT PERSON - MR. SANAT SHARMA, AUTH. SIGNATORY - 9893364090 E-MAIL : durga\_agriculture@yahoo.com**

| S.N. | Name of Impliment  | Model Name | PURCHASE PRICE |          |                            | SELLING PRICE |                                  |                   |                             |
|------|--|------------|----------------|----------|----------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------------|
|      |  |            | BASIC PRICE    | GST @ 5% | TOTAL PURCHASE PRICE (1+2) | BASIC PRICE   | CORP. MARGIN @ 5% on Basic Price | GST on (4+5) @ 5% | FINAL SELLING PRICE (4+5+6) |
|      |  |            | 1              | 2        | 3                          | 4             | 5                                | 6                 | 7                           |
| 01   | Cultivator Chisel Type                                       | 7 Tines    | 57823          | 2891     | 60714                      | 57823         | 2891                             | 3036              | 63750                       |
| 02   | Seed Cum Fertilizer Drill                                    | 11 Tynes   | 64031          | 3202     | 67233                      | 64031         | 3202                             | 3362              | 70594                       |
| 03   | Seed Drill Single peti                                       | 11 Tynes   | 51383          | 2569     | 53952                      | 51383         | 2569                             | 2698              | 56650                       |
| 04   | Super Seeder   | 11 Tines   | 233832         | 11692    | 245524                     | 233832        | 11692                            | 12276             | 257800                      |
| 05   | Hydraulic Trolley  | Two Wheel  | 210034         | 10502    | 220536                     | 210034        | 10502                            | 11027             | 231563                      |
| 06   | Chaff Cutter Motor Operated With Gear box and Electric Moter | 2 HP       | 34014          | 1701     | 35715                      | 34014         | 1701                             | 1786              | 37500                       |

नोट : प्रत्येक कम्पनी के मेक/मॉडल भिन्न-भिन्न होने के कारण दरों की तुलना करना संभव नहीं है। अतः एम. पी. एग्रो द्वारा दरों का अनुमोदन नहीं किया गया है। अपितु निर्माता द्वारा निगम को प्रस्तुत दरों का कृषि अभियांत्रिकी पोर्टल पर प्रस्तुत दरों से मिलान कर निगम द्वारा दरों प्रसारण किया गया है।

प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्तें निम्नानुसार रहेंगी :-

- दरों की प्रभावशीलता** : प्रदायक की क्रय एवं विक्रय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन/निरीक्षण शुल्क, सहित हैं। उपरोक्त दरें कृषि अभियांत्रिकी में पंजीकृत दरों के समकक्ष हैं। यदि समय-समय पर प्रदाय कम्पनी द्वारा कृषि अभियांत्रिकी विभाग में दरों अथवा यंत्रों के मॉडलों में कोई परिवर्तन किया जाता है तो निर्माता कम्पनी द्वारा उसकी सूचना से आवश्यक रूप से एम.पी.एग्रो मुख्यालय को अवगत कराया जावेगा। जिला प्रबंधक का दायित्व होगा कि वे निगम की विक्रय दरों से उद्यानिकी विभाग एवं कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं तथा अन्य संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों को अवगत करावें एवं निगम के पक्ष में आदेश प्राप्त करें।



2. **शासकीय अनुदान** : परिपत्र में दर्शाई गयी सामग्रियों पर शासकीय अनुदान संबंधित विभाग की योजनाओं के दिशा-निर्देशों के अनुसार देय होगा। अनुदान संबंधी निर्णय संबंधित विभाग का है, इसमें निगम की कोई भूमिका नहीं रहेगी। एम.पी.एग्रो की जवाबदेही मात्र उन्हीं प्रकरणों में रहेगी जिसमें सामग्री एम.पी.एग्रो के माध्यम से कृषक को प्रदायगी की जायेगी एवं कृषक अंश राशि एम.पी.एग्रो के खाते में प्राप्त होगी। यदि कृषक द्वारा सीधे कम्पनी से सामग्री कय की जाती है एवं कृषक अंश राशि सीधे कम्पनी के खाते में भुगतान की जाती है तो एम.पी.एग्रो की कोई जवाबदेही नहीं होगी।
3. **आदेश की प्रक्रिया** : जिला प्रबंधक, उद्यानिकी विभाग/कृषि विभाग/अन्य विभाग से प्राप्त मांग एवं मांग में अनुशंसित प्रदायक/निर्माता कम्पनी तथा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को आदेश हेतु मांग अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के पक्ष में प्रदाय आदेश जारी किया जावेगा।
- (अ) प्रदाय आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्तें, प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।
- (ब) प्रदाय आदेश में प्रदायगी की समयसीमा का उल्लेख किया जावे। जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।
- (स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरुद्ध है एवं अनुदान योजनांतर्गत कृषक को प्रदाय किये जाने हेतु कृषक अंश राशि एम.पी.एग्रो के खाते में प्राप्त हो गयी है।
- (द) क्षेत्रीय प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि क्रेता विभाग द्वारा मांग में कम्पनी का नाम मॉडल एवं अन्य विवरण का उल्लेख हो। क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा प्रदाय आदेश जारी करने के पूर्व प्रदाय किये जाने वाले कृषि यंत्रों की विक्रय दर क्रेता विभाग को प्रस्तुत कर क्रेता विभाग से पुष्टि करने के पश्चात् ही प्रदाय आदेश जारी किया जावे।
4. **सामग्री की प्रदायगी** – सामग्री की प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।
- (A) प्रदायक द्वारा निगम के आदेशानुसार अधिकतम 30 दिवस के अंदर सामग्री प्रदाय करनी होगी। प्रदायक द्वारा उचित कारण दिये जाने पर यह समय-सीमा बढ़ाई भी जा सकती है।
- (B) आदेशित सामग्री का प्रदाय क्रेता विभाग को करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का पोस्ट डिलेवरी इंस्पेक्शन (पीडीआई) रिपोर्ट जिसमें मेक, मॉडल, मैन्युफेक्चरिंग वर्ष इंजन नंबर, चैसिस नंबर निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।
- (C) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित सामग्री के प्रदाय के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा।
- (D) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिटर्न GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/ निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।
- (E) यंत्रों के रख-रखाव एवं परिचालन के संबंध में प्रदायक द्वारा संबंधित क्रेता विभाग/क्रेता को विधिवत प्रशिक्षण प्रदान किया जाना आवश्यक होगा।
6. **सामग्री की गुणवत्ता**—एम.पी.एग्रो के माध्यम से विभाग/कृषकों को प्रदाय की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता के लिए प्रदायक/निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। निर्माता द्वारा जो सामग्री प्रदाय की जावेगी वह एम.पी.एग्रो द्वारा जारी दर सूची अनुसार रहेगी। गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबंधक को अवगत करायेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो अनुबंध एवं आर.सी.ओ. की शर्तों के अनुसार कार्यवाही की जावेगी।



7. **प्राइज़ फार क्लॉस** - निगम के माध्यम से प्रसारित की जा रही विक्रय दरें किसी अन्य शासकीय संस्था/उपक्रम अथवा बाजार में कम्पनी की विक्रय दरों के समतुल्य है। यदि भविष्य में बाजार अथवा अन्य संस्था में विक्रय दरों का कम होना निगम के संज्ञान में आता है तो प्रदायकर्ता द्वारा निगम के साथ किये गये अनुबंध दिनांक से उक्त स्थिति के प्रमाणित होने तक प्रदाय की गयी समस्त सामग्री पर वही दर लागू मानते हुए अंतर की राशि की वसूली प्रदायक के लंबित देयकों से की जावेगी। साथ ही निगम प्रदायक के अनुबंध को निरस्त करने हेतु निगम स्वतंत्र रहेगा, जिसके लिए प्रदायक स्वयं उत्तरदायी रहेगा।
8. **भुगतान** - प्रदायक के देयक का भुगतान आदेशानुसार सामग्री प्राप्त होने के उपरांत संबंधित विभाग/केता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, निगम को पूर्ण राशि (कृषक अंश + अनुदान राशि) प्राप्त होने पर "भुगतान पश्चात् भुगतान" की शर्त पर 15 दिवस में निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा।
9. **दरों की एक मात्र मान्यता** : संलग्न क्रय-विक्रय दरें पत्र प्रसारण की दिनांक से आगामी 03 माह (अर्थात् दिनांक 18.06.2026 से 17.09.2026) तक वैध रहेंगी। अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से प्रदायगी हेतु हैं, किसी अन्य विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।
10. **सामग्री की वारण्टी** : यंत्रों में मेन्युफेचरिंग डिफेक्ट पर प्रदाय दिनांक से 1 वर्ष की वारण्टी अवधि अथवा कम्पनी की पॉलिसी अनुसार जो भी अधिक हो रहेगी। शिकायत प्राप्त होने पर कम्पनी द्वारा 10 दिवस में शिकायत का निराकरण करना होगा।

प्रतिलिपि :-

87C  
35-C-2C

प्रबंधक (विपणन)  
30/06/26

1. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. निज सचिव, संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी-ब्लॉक, गौतम नगर, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. निज सचिव, संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
4. निज सचिव, संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, छठवीं मंजिल, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
5. निज सचिव, कलेक्टर (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
6. निज सचिव, प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. विभागाध्यक्ष (समस्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
8. कम्प्यूटर कक्ष, मुख्यालय, भोपाल की ओर भेजकर लेख है कि उक्त परिपत्र निगम की वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
9. **M/S DURGA AGRICULTURE INDUSTRIES - ADDRESS - NANAKHEDI, A.B. ROAD, GUNA (MP) 473001 CONTACT PERSON - MR. SANAT SHARMA, AUTH. SIGNATORY - 9893364090 E-MAIL : durga\_agriculture@yahoo.com**



प्रबंधक (विपणन)  
30/06/26



**THE MADHYA PRADESH STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED (M.P. GOVT. UNDERTAKING)**

HEAD OFFICE : "PANCHANAN" 3rd FLOOR, MALAVIYA NAGAR, BHOPAL- 462003  
Phone (0755) - 2551652, 2551756, 2551807 Fax: 0755-2557305 E-Mail : mpagrohobpl@gmail.com  
Website : www.mpstateagro.org (CIN NO. U01119MP1969SGC001055)

मुख्या / विपणन / T.D. IMP - 10 (P-II) / 2026-27 / 869

दिनांक : 30.06.2026

प्रति,

क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),  
जिला प्रबंधक (समस्त),

विषय : ISI MARKED AND TESTED TRACTOR / POWER DRIVEN AGRICULTURAL EQUIPMENT & SELF PROPELLED AGRICULTURAL MACHINERY की दरों का प्रसारण।

संदर्भ : मुख्यालय द्वारा ISI MARKED AND TESTED TRACTOR / POWER DRIVEN AGRICULTURAL EQUIPMENT & SELF PROPELLED AGRI. MACHINERY हेतु जारी आरसीओ दिनांक 20.11.2025

निगम के माध्यम से ISI MARKED AND TESTED TRACTOR/ POWER DRIVEN AGRICULTURAL EQUIPMENT & SELF PROPELLED AGRICULTURAL MACHINERY हेतु "ऑन-लाईन" रेट कॉन्ट्रैक्ट ऑफर आमंत्रित किया गया था, आफर में प्राप्त दरों को अंतिम करने हेतु समिति की बैठक में समिति द्वारा की गयी अनुशंसा अनुसार निर्माताओं से सहमति प्राप्त कर अनुबंध संपादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की कय-विकय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित निम्नानुसार रहेंगी :-

**M/S TIRTH AGRO TECHNOLOGY PVT LTD - ADDRESS "SHAKTIMAN" SURVEY NO. 108/1 PLOT NO. B NH-27 NR. BHARUDI TOLL PLAZA BHUNAVA (VILLAGE), TALUKA GONDAL, DISTT. RAJKOT (GUJRAT) - 360311 - E-MAIL : info@shaktimanagro.com**  
**CONTACT PERSON - AMIT CHOURASIA, AGM : 9755003067**

| S.N. | Name of Impliment                    | Model Name          | PURCHASE PRICE |          |                            | SELLING PRICE |                                  |                   |                             |
|------|--------------------------------------|---------------------|----------------|----------|----------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------------|
|      |                                      |                     | BASIC PRICE    | GST @ 5% | TOTAL PURCHASE PRICE (1+2) | BASIC PRICE   | CORP. MARGIN @ 5% on Basic Price | GST on (4+5) @ 5% | FINAL SELLING PRICE (4+5+6) |
|      |                                      |                     | 1              | 2        | 3                          | 4             | 5                                | 6                 | 7                           |
| 01   | Reversible Plough Hydraulic 2 Bottom | SMP - 2AXM          | 158800         | 7940     | 166740                     | 158800        | 7940                             | 8337              | 175077                      |
| 02   | Reversible Plough Hydraulic 3 Bottom | SMP - 3AX           | 237900         | 11895    | 249795                     | 237900        | 11895                            | 12490             | 262285                      |
| 03   | Super Seeder                         | SSUS - 7            | 257201         | 12860    | 270061                     | 257201        | 12860                            | 13503             | 283564                      |
| 04   | Super Seeder                         | SSUS - 8            | 275201         | 13760    | 288961                     | 275201        | 13760                            | 14448             | 303409                      |
| 05   | Tractor Operated Aero Blast Sprayer  | RAKSHA K 200 TM VS  | 298900         | 14945    | 313845                     | 298900        | 14945                            | 15692             | 329537                      |
| 06   | Tractor Operated Aero Blast Sprayer  | RAKSHA K 600 TM VS  | 428200         | 21410    | 449610                     | 428200        | 21410                            | 22481             | 472091                      |
| 07   | Tractor Operated Weed Slasher        | SRS - 6 (180)       | 89000          | 4450     | 93450                      | 89000         | 4450                             | 4673              | 98123                       |
| 08   | Tractor Operated Rotavator           | SRT-5 (150) / MS R+ | 109000         | 5450     | 114450                     | 109000        | 5450                             | 5723              | 120173                      |
| 09   | Tractor Operated Rotavator           | SRT-6 (180) / MS R+ | 113500         | 5675     | 119175                     | 113500        | 5675                             | 5959              | 125134                      |
| 10   | Tractor Operated Rotavator           | DRT-7 (210) MS R+   | 117000         | 5850     | 122850                     | 117000        | 5850                             | 6143              | 128993                      |
| 11   | Tractor Operated Rotavator           | SRT-5 (150) / MS SP | 120200         | 6010     | 126210                     | 120200        | 6010                             | 6311              | 132521                      |
| 12   | Tractor Operated Rotavator           | SRT-7 (210) / MS SP | 125000         | 6250     | 131250                     | 125000        | 6250                             | 6563              | 137813                      |



|    |  |                           |        |       |        |        |       |       |        |
|----|--|---------------------------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|--------|
| 13 | Tractor Operated Rotavator                               | SRT-6 (180) / MS SP       | 125781 | 6289  | 132071 | 125781 | 6289  | 6603  | 138673 |
| 14 | Tractor Operated Rotavator                               | SRT 2.5 (80) SS GD MP     | 65500  | 3275  | 68775  | 65500  | 3275  | 3439  | 72214  |
| 15 | Tractor Operated Rotavator                               | SRT 3 25 (100) / SS GD MP | 70500  | 3525  | 74025  | 70500  | 3525  | 3701  | 77726  |
| 16 | Tractor Operated Shredder/Mulcher                        | SRM- 5                    | 177000 | 8850  | 185850 | 177000 | 8850  | 9293  | 195143 |
| 17 | Tractor Operated Shredder/Mulcher                        | SRM - 6                   | 185000 | 9250  | 194250 | 185000 | 9250  | 9713  | 203963 |
| 18 | Tractor Operated Shredder/Mulcher                        | SRM - 7                   | 196500 | 9825  | 206325 | 196500 | 9825  | 10316 | 216641 |
| 19 | Tractor Operated Shredder/Mulcher                        | SMS - 540 S               | 215000 | 10750 | 225750 | 215000 | 10750 | 11288 | 237038 |
| 20 | Self Propelled Rice Transplanter Walk Behind Type 4 Rows | SPR - 37                  | 276000 | 13800 | 289800 | 276000 | 13800 | 14490 | 304290 |

नोट : प्रत्येक कम्पनी के मेक/मॉडल भिन्न-भिन्न होने के कारण दरों की तुलना करना संभव नहीं है। अतः एम. पी.एग्रो द्वारा दरों का अनुमोदन नहीं किया गया है। अपितु निर्माता द्वारा निगम को प्रस्तुत दरों का कृषि अभियांत्रिकी पोर्टल पर प्रस्तुत दरों से मिलान कर निगम द्वारा दरों प्रसारण किया गया है।

प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्तें निम्नानुसार रहेंगी :-

- दरों की प्रभावशीलता** : प्रदायक की कय एवं विकय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन/निरीक्षण शुल्क, सहित हैं। उपरोक्त दरें कृषि अभियांत्रिकी में पंजीकृत दरों के समकक्ष हैं। यदि समय-समय पर प्रदाय कम्पनी द्वारा कृषि अभियांत्रिकी विभाग में दरों अथवा यंत्रों के मॉडलों में कोई परिवर्तन किया जाता है तो निर्माता कम्पनी द्वारा उसकी सूचना से आवश्यक रूप से एम.पी.एग्रो मुख्यालय को अवगत कराया जावेगा। जिला प्रबंधक का दायित्व होगा कि वे निगम की विकय दरों से उद्यानिकी विभाग एवं कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं तथा अन्य संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों को अवगत करावें एवं निगम के पक्ष में आदेश प्राप्त करें।
- शासकीय अनुदान** : परिपत्र में दर्शाई गयी सामग्रियों पर शासकीय अनुदान संबंधित विभाग की योजनाओं के दिशा-निर्देशों के अनुसार देय होगा। अनुदान संबंधी निर्णय संबंधित विभाग का है, इसमें निगम की कोई भूमिका नहीं रहेगी। एम.पी.एग्रो की जवाबदेही मात्र उन्हीं प्रकरणों में रहेगी जिसमें सामग्री एम.पी.एग्रो के माध्यम से कृषक को प्रदायगी की जावेगी एवं कृषक अंश राशि एम.पी.एग्रो के खाते में प्राप्त होगी। यदि कृषक द्वारा सीधे कम्पनी से सामग्री कय की जाती है एवं कृषक अंश राशि सीधे कम्पनी के खाते में भुगतान की जाती है तो एम.पी.एग्रो की कोई जवाबदेही नहीं होगी।
- आदेश की प्रक्रिया** : जिला प्रबंधक, उद्यानिकी विभाग/कृषि विभाग/अन्य विभाग से प्राप्त मांग एवं मांग में अनुशंसित प्रदायक/निर्माता कम्पनी तथा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को आदेश हेतु मांग अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के पक्ष में प्रदाय आदेश जारी किया जावेगा।
  - प्रदाय आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्तें, प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।
  - प्रदाय आदेश में प्रदायगी की समयसीमा का उल्लेख किया जावे। जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।
  - क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरुद्ध है एवं अनुदान योजनांतर्गत कृषक को प्रदाय किये जाने हेतु कृषक अंश राशि एम.पी.एग्रो के खाते में प्राप्त हो गयी है।
  - क्षेत्रीय प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि क्रेता विभाग द्वारा मांग में कम्पनी का नाम मॉडल एवं अन्य विवरण का उल्लेख हो। क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा प्रदाय आदेश जारी करने के पूर्व प्रदाय किये जाने वाले कृषि यंत्रों की विकय दर क्रेता विभाग को प्रस्तुत कर क्रेता विभाग से पुष्टि करने के पश्चात् ही प्रदाय आदेश जारी किया जावे।



4. **सामग्री की प्रदायगी** – सामग्री की प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।
- (A) प्रदायक द्वारा निगम के आदेशानुसार अधिकतम 30 दिवस के अंदर सामग्री प्रदाय करनी होगी। प्रदायक द्वारा उचित कारण दिये जाने पर यह समय-सीमा बढ़ाई भी जा सकती है।
- (B) आदेशित सामग्री का प्रदाय क्रेता विभाग को करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का पोस्ट डिलेवरी इंस्पेक्शन (पीडीआई) रिपोर्ट जिसमें मेक, मॉडल, मैन्युफेक्चरिंग वर्प इंजन नंबर, चैसिस नंबर निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।
- (C) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित सामग्री के प्रदाय के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा।
- (D) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिटर्न GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदनुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/ निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।
- (E) यंत्रों के रख-रखाव एवं परिचालन के संबंध में प्रदायक द्वारा संबंधित क्रेता विभाग/क्रेता को विधिवत प्रशिक्षण प्रदान किया जाना आवश्यक होगा।
6. **सामग्री की गुणवत्ता**—एम.पी.एग्रो के माध्यम से विभाग/कृषकों को प्रदाय की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता के लिए प्रदायक/निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। निर्माता द्वारा जो सामग्री प्रदाय की जावेगी वह एम.पी.एग्रो द्वारा जारी दर सूची अनुसार रहेगी। गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबंधक को अवगत करायेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो अनुबंध एवं आर.सी.ओ. की शर्तों के अनुसार कार्यवाही की जावेगी।
7. **प्राइज़ फार क्लॉस** – निगम के माध्यम से प्रसारित की जा रही विक्रय दरें किसी अन्य शासकीय संस्था/उपक्रम अथवा बाजार में कम्पनी की विक्रय दरों के समतुल्य है। यदि भविष्य में बाजार अथवा अन्य संस्था में विक्रय दरों का कम होना निगम के संज्ञान में आता है तो प्रदायकर्ता द्वारा निगम के साथ किये गये अनुबंध दिनांक से उक्त स्थिति के प्रमाणित होने तक प्रदाय की गयी समस्त सामग्री पर वही दर लागू मानते हुए अंतर की राशि की वसूली प्रदायक के लंबित देयकों से की जावेगी। साथ ही निगम प्रदायक के अनुबंध को निरस्त करने हेतु निगम स्वतंत्र रहेगा, जिसके लिए प्रदायक स्वयं उत्तरदायी रहेगा।
8. **भुगतान** – प्रदायक के देयक का भुगतान आदेशानुसार सामग्री प्राप्त होने के उपरांत संबंधित विभाग/क्रेता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, निगम को पूर्ण राशि (कृषक अंश + अनुदान राशि) प्राप्त होने पर “भुगतान पश्चात् भुगतान” की शर्त पर 15 दिवस में निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा।
9. **दरों की एक मात्र मान्यता** : संलग्न कय-विक्रय दरें पत्र प्रसारण की दिनांक से आगामी 03 माह (अर्थात् दिनांक 18.06.2026 से 17.09.2026) तक वैध रहेंगी। अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से प्रदायगी हेतु हैं, किसी अन्य विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।
10. **सामग्री की वारण्टी** : यंत्रों में मैन्युफेक्चरिंग डिफेक्ट पर प्रदाय दिनांक से 1 वर्ष की वारण्टी अवधि अथवा कम्पनी की पॉलिसी अनुसार जो भी अधिक हो रहेगी। शिकायत प्राप्त होने पर कम्पनी द्वारा 10 दिवस में शिकायत का निराकरण करना होगा।

प्रतिलिपि :-

870  
30-6-2026


प्रबंधक (विक्रयण)

30/06/26

निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर सूचनार्थ।



2. निज सचिव, संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, वी-ब्लॉक, गौतम नगर, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. निज सचिव, संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
4. निज सचिव, संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, छठवीं मंजिल, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
5. निज सचिव, कलेक्टर (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
6. निज सचिव, प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. विभागाध्यक्ष (समस्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
8. कम्प्यूटर कक्ष, मुख्यालय, भोपाल की ओर भेजकर लेख है कि उक्त परिपत्र निगम की वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
9. **M/S TIRTH AGRO TECHNOLOGY PVT LTD - ADDRESS "SHAKTIMAN" SURVEY NO. 108/1 PLOT NO. B NH-27 NR. BHARUDI TOLL PLAZA BHUNAVA (VILLAGE), TALUKA GONDAL, DISTT. RAJKOT (GUJRAT)-360311- CONTACT PERSON - AMIT CHOURASIA, AGM : 9755003067 - E-MAIL : info@shaktimanagro.com**



प्रबंधक (विपणन)  
30/06/26



**THE MADHYA PRADESH STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED (M.P. GOVT. UNDERTAKING)**

HEAD OFFICE : "PANCHANAN" 3rd FLOOR, MALAVIYA NAGAR, BHOPAL- 462003  
Phone (0755) - 2551652, 2551756, 2551807 Fax: 0755-2557305 E-Mail : mpagrohbpl@gmail.com  
Website : www.mpstateagro.org (CIN NO. U01119MP1969SGC001055)

मुख्या/विपणन/T.D. IMP - 10 (P-II)/2026-27 / 871

दिनांक : 30.06.2026

प्रति,

क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),  
जिला प्रबंधक (समस्त),

विषय : ISI MARKED AND TESTED TRACTOR / POWER DRIVEN AGRICULTURAL EQUIPMENT & SELF PROPELLED AGRICULTURAL MACHINERY की दरों का प्रसारण।

संदर्भ : मुख्यालय द्वारा ISI MARKED AND TESTED TRACTOR / POWER DRIVEN AGRICULTURAL EQUIPMENT & SELF PROPELLED AGRI. MACHINERY हेतु जारी आरसीओ दिनांक 20.11.2025

निगम के माध्यम से ISI MARKED AND TESTED TRACTOR/ POWER DRIVEN AGRICULTURAL EQUIPMENT & SELF PROPELLED AGRICULTURAL MACHINERY हेतु "ऑन-लाईन" रेट कॉन्ट्रैक्ट ऑफर आमंत्रित किया गया था, आफर में प्राप्त दरों को अंतिम करने हेतु समिति की बैठक में समिति द्वारा की गयी अनुशंसा अनुसार निर्माताओं से सहमति प्राप्त कर अनुबंध संपादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की कय-विकय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित निम्नानुसार रहेंगी :-

**M/S GREENLAND AGROTECH PRIVATE LIMITED - ADDRESS - JAMNAGAR HIGHWAY, NEAR SAI BABA TEMPLE, NEW SURVEY NO 748 VILL. JAYWA - 361210, TEH. DHROL, DISTT. JAMNAGAR (GUJRAT) CONTACT PERSON - MR. NAVNEET 6356420416**  
E-MAIL : greenlandpvtltd@gmail.com

| S.N. | Name of Impliment            | Model Name | PURCHASE PRICE |          |                            | SELLING PRICE |                                  |                   |                             |
|------|------------------------------|------------|----------------|----------|----------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------------|
|      |                              |            | BASIC PRICE    | GST @ 5% | TOTAL PURCHASE PRICE (1+2) | BASIC PRICE   | CORP. MARGIN @ 5% on Basic Price | GST on (4+5) @ 5% | FINAL SELLING PRICE (4+5+6) |
|      |                              |            | 1              | 2        | 3                          | 4             | 5                                | 6                 | 7                           |
| 01   | Tractor Front Mounted Reaper | MDS 47 TDR | 122322         | 6116     | 128438                     | 122322        | 6116                             | 6422              | 134860                      |
| 02   | Tractor Operated Rotavator   | GRT - 6CL  | 106293         | 5315     | 111608                     | 106293        | 5315                             | 5580              | 117188                      |
| 03   | Tractor Operated Rotavator   | GRT - 6MH  | 110544         | 5527     | 116071                     | 110544        | 5527                             | 5804              | 121875                      |

नोट : प्रत्येक कम्पनी के मेक/मॉडल भिन्न-भिन्न होने के कारण दरों की तुलना करना संभव नहीं है। अतः एम. पी.एग्रो द्वारा दरों का अनुमोदन नहीं किया गया है। अपितु निर्माता द्वारा निगम को प्रस्तुत दरों का कृषि अभियांत्रिकी पोर्टल पर प्रस्तुत दरों से मिलान कर निगम द्वारा दरों प्रसारण किया गया है।

प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्तें निम्नानुसार रहेंगी :-

- दरों की प्रभावशीलता** : प्रदायक की कय एवं विकय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन/निरीक्षण शुल्क, सहित हैं। उपरोक्त दरें कृषि अभियांत्रिकी में पंजीकृत दरों के समकक्ष हैं। यदि समय-समय पर प्रदाय कम्पनी द्वारा कृषि अभियांत्रिकी विभाग में दरों अथवा यंत्रों के मॉडलों में कोई परिवर्तन किया जाता है तो निर्माता कम्पनी द्वारा उसकी सूचना से आवश्यक रूप से एम.पी.एग्रो मुख्यालय को अवगत कराया जावेगा। जिला प्रबंधक का दायित्व होगा कि वे निगम की विकय दरों से उद्यानिकी विभाग एवं कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं तथा अन्य संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों को अवगत करावें एवं निगम के पक्ष में आदेश प्राप्त करें।
- शासकीय अनुदान** : परिपत्र में दर्शाई गयी सामग्रियों पर शासकीय अनुदान संबंधित विभाग की योजनाओं के दिशा-निर्देशों के अनुसार देय होगा। अनुदान संबंधी निर्णय संबंधित विभाग का है, इसमें निगम की कोई भूमिका नहीं रहेगी। एम.पी.एग्रो की जवाबदेही मात्र उन्हीं प्रकरणों में रहेगी जिसमें सामग्री एम.पी.एग्रो के माध्यम से कृषक को प्रदायगी की जावेगी एवं कृषक अंश राशि एम.पी.एग्रो के खाते में प्राप्त होगी। यदि कृषक द्वारा सीधे कम्पनी से सामग्री कय की जाती है एवं कृषक अंश राशि सीधे कम्पनी के खाते में भुगतान की जाती है तो एम.पी.एग्रो की कोई जवाबदेही नहीं होगी।



3. **आदेश की प्रक्रिया** : जिला प्रबंधक, उद्यानिकी विभाग/कृषि विभाग/अन्य विभाग से प्राप्त मांग एवं मांग में अनुशासित प्रदायक/निर्माता कम्पनी तथा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को आदेश हेतु मांग अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के पक्ष में प्रदाय आदेश जारी किया जावेगा।
- (अ) प्रदाय आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्त, प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।
- (ब) प्रदाय आदेश में प्रदायगी की समयसीमा का उल्लेख किया जावे। जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।
- (स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरुद्ध है एवं अनुदान योजनांतर्गत कृषक को प्रदाय किये जाने हेतु कृषक अंश राशि एम.पी.एग्रो के खाते में प्राप्त हो गयी है।
- (द) क्षेत्रीय प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि क्रेता विभाग द्वारा मांग में कम्पनी का नाम मॉडल एवं अन्य विवरण का उल्लेख हो। क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा प्रदाय आदेश जारी करने के पूर्व प्रदाय किये जाने वाले कृषि यंत्रों की विक्रय दर क्रेता विभाग को प्रस्तुत कर क्रेता विभाग से पुष्टि करने के पश्चात् ही प्रदाय आदेश जारी किया जावे।
4. **सामग्री की प्रदायगी** – सामग्री की प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।
- (A) प्रदायक द्वारा निगम के आदेशानुसार अधिकतम 30 दिवस के अंदर सामग्री प्रदाय करनी होगी। प्रदायक द्वारा उचित कारण दिये जाने पर यह समय-सीमा बढ़ाई भी जा सकती है।
- (B) आदेशित सामग्री का प्रदाय क्रेता विभाग को करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का पोस्ट डिलेवरी इंस्पेक्शन (पीडीआई) रिपोर्ट जिसमें मेक, मॉडल, मेन्युफेक्चरिंग वर्ष इंजन नंबर, चैसिस नंबर निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।
- (C) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित सामग्री के प्रदाय के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा।
- (D) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिटर्न GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।
- (E) यंत्रों के रख-रखाव एवं परिचालन के संबंध में प्रदायक द्वारा संबंधित क्रेता विभाग/क्रेता को विधिवत प्रशिक्षण प्रदान किया जाना आवश्यक होगा।
6. **सामग्री की गुणवत्ता**—एम.पी.एग्रो के माध्यम से विभाग/कृषकों को प्रदाय की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता के लिए प्रदायक/निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। निर्माता द्वारा जो सामग्री प्रदाय की जावेगी वह एम.पी.एग्रो द्वारा जारी दर सूची अनुसार रहेगी। गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबंधक को अवगत करायेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो अनुबंध एवं आर.सी.ओ. की शर्तों के अनुसार कार्यवाही की जावेगी।
7. **प्राइज़ फार क्लॉस** – निगम के माध्यम से प्रसारित की जा रही विक्रय दरें किसी अन्य शासकीय संस्था/उपक्रम अथवा बाजार में कम्पनी की विक्रय दरों के समतुल्य है। यदि भविष्य में बाजार अथवा अन्य संस्था में विक्रय दरों का कम होना निगम के संज्ञान में आता है तो प्रदायकर्ता द्वारा निगम के साथ किये गये अनुबंध दिनांक से उक्त स्थिति के प्रमाणित होने तक प्रदाय की गयी समस्त सामग्री पर वही दर लागू मानते हुए अंतर की राशि की वसूली प्रदायक के लंबित देयकों से की जावेगी। साथ ही निगम प्रदायक के अनुबंध को निरस्त करने हेतु निगम स्वतंत्र रहेगा, जिसके लिए प्रदायक स्वयं उत्तरदायी रहेगा।



8. **भुगतान** - प्रदायक के देयक का भुगतान आदेशानुसार सामग्री प्राप्त होने के उपरांत संबंधित विभाग/केता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, निगम को पूर्ण राशि (कृषक अंश + अनुदान राशि) प्राप्त होने पर "भुगतान पश्चात् भुगतान" की शर्त पर 15 दिवस में निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा।
9. **दरों की एक मात्र मान्यता** : संलग्न कय-विकय दरें पत्र प्रसारण की दिनांक से आगामी 03 माह (अर्थात् दिनांक 18.06.2026 से 17.09.2026) तक वैध रहेंगी। अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से प्रदायगी हेतु हैं, किसी अन्य विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।
10. **सामग्री की वारण्टी** : यंत्रों में मेन्युफेक्चरिंग डिफेक्ट पर प्रदाय दिनांक से 1 वर्ष की वारण्टी अवधि अथवा कम्पनी की पॉलिसी अनुसार जो भी अधिक हो रहेगी। शिकायत प्राप्त होने पर कम्पनी द्वारा 10 दिवस में शिकायत का निराकरण करना होगा।

प्रतिलिपि :-

872  
30-6-26

1. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. निज सचिव, संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, वी-ब्लॉक, गौतम नगर, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. निज सचिव, संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
4. निज सचिव, संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, छठवीं मंजिल, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
5. निज सचिव, कलेक्टर (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
6. निज सचिव, प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. विभागाध्यक्ष (समस्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
8. कम्प्यूटर कक्ष, मुख्यालय, भोपाल की ओर भेजकर लेख है कि उक्त परिपत्र निगम की वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
9. **M/S GREENLAND AGROTECH PRIVATE LIMITED - ADDRESS - JAMNAGAR HIGHWAY, NEAR SAI BABA TEMPLE, NEW SURVEY NO 748 VILL. JAYWA - 361210, TEH. DHROL, DISTT. JAMNAGAR (GUJRAT) CONTACT PERSON - MR. 6356420416 - E-MAIL : greenlandpvtltd@gmail.com**



प्रबंधक (विपणन)  
30/6/26

प्रबंधक (विपणन)  
30/6/26



**THE MADHYA PRADESH STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED (M.P. GOVT. UNDERTAKING)**

HEAD OFFICE : "PANCHANAN" 3rd FLOOR, MALAVIYA NAGAR, BHOPAL - 462003  
Phone (0755) - 2551652, 2551756, 2551807 Fax: 0755-2557305 E-Mail : mpagrohbpl@gmail.com  
Website : www.mpstateagro.org (CIN NO. U01119MP1969SGC001055)

मुख्या / विपणन / T.D. IMP - 10 (P-II) / 2026-27 / 8-13

दिनांक : 30.06.2026

प्रति,

क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),  
जिला प्रबंधक (समस्त),

विषय : ISI MARKED AND TESTED TRACTOR / POWER DRIVEN AGRICULTURAL EQUIPMENT & SELF PROPELLED AGRICULTURAL MACHINERY की दरों का प्रसारण।

संदर्भ : मुख्यालय द्वारा ISI MARKED AND TESTED TRACTOR / POWER DRIVEN AGRICULTURAL EQUIPMENT & SELF PROPELLED AGRI. MACHINERY हेतु जारी आरसीओ दिनांक 20.11.2025

निगम के माध्यम से ISI MARKED AND TESTED TRACTOR/ POWER DRIVEN AGRICULTURAL EQUIPMENT & SELF PROPELLED AGRICULTURAL MACHINERY हेतु "ऑन-लाईन" रेट कॉन्ट्रैक्ट ऑफर आमंत्रित किया गया था, आफर में प्राप्त दरों को अंतिम करने हेतु समिति की बैठक में समिति द्वारा की गयी अनुशंसा अनुसार निर्माताओं से सहमति प्राप्त कर अनुबंध संपादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की कय-विकय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित निम्नानुसार रहेंगी :-

**M/S SHREE RAM ELECTRIC CO ADDRESS - RAJKOT - JAMNAGAR HIGHWAY, MARUTI NAGAR, NEAR SATVARA SAMAJ, JODIYA ROAD, DHROL - 361210 DIST. JAMNAGAR (GUJARAT) CONTACT PERSON - AKSHAY DOBARIYA AUTH. SIGNATORY : 9157538842 E-MAIL : shreerameleco@yahoo.com**

| S.N | Name of Impliment               | Model Name | PURCHASE PRICE |          |                            | SELLING PRICE |                                  |                   |                             |
|-----|---------------------------------|------------|----------------|----------|----------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------------|
|     |                                 |            | BASIC PRICE    | GST @ 5% | TOTAL PURCHASE PRICE (1+2) | BASIC PRICE   | CORP. MARGIN @ 5% on Basic Price | GST on (4+5) @ 5% | FINAL SELLING PRICE (4+5+6) |
|     |                                 |            | 1              | 2        | 3                          | 4             | 5                                | 6                 | 7                           |
| 01  | Tractor Drawn Reaper cum Binder | MDS 42 TFM | 259000         | 12950    | 271950                     | 259000        | 12950                            | 13598             | 285548                      |
| 02  | Reaper Cum Binder               | MDS 44 FWD | 459822         | 22991    | 482813                     | 459822        | 22991                            | 24141             | 506954                      |

नोट : प्रत्येक कम्पनी के मेक/मॉडल भिन्न-भिन्न होने के कारण दरों की तुलना करना संभव नहीं है। अतः एम.पी.एग्रो द्वारा दरों का अनुमोदन नहीं किया गया है। अपितु निर्माता द्वारा निगम को प्रस्तुत दरों का कृषि अभियांत्रिकी पोर्टल पर प्रस्तुत दरों से मिलान कर निगम द्वारा दरों प्रसारण किया गया है।

प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्तें निम्नानुसार रहेंगी :-

- दरों की प्रभावशीलता** : प्रदायक की कय एवं विकय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन/निरीक्षण शुल्क, सहित हैं। उपरोक्त दरें कृषि अभियांत्रिकी में पंजीकृत दरों के समकक्ष हैं। यदि समय-समय पर प्रदाय कम्पनी द्वारा कृषि अभियांत्रिकी विभाग में दरों अथवा यंत्रों के मॉडलों में कोई परिवर्तन किया जाता है तो निर्माता कम्पनी द्वारा उसकी सूचना से आवश्यक रूप से एम.पी.एग्रो मुख्यालय को अवगत कराया जावेगा। जिला प्रबंधक का दायित्व होगा कि वे निगम की विकय दरों से उद्यानिकी विभाग एवं कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं तथा अन्य संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों को अवगत करावें एवं निगम के पक्ष में आदेश प्राप्त करें।
- शासकीय अनुदान** : परिपत्र में दर्शाई गयी सामग्रियों पर शासकीय अनुदान संबंधित विभाग की योजनाओं के दिशा-निर्देशों के अनुसार देय होगा। अनुदान संबंधी निर्णय संबंधित विभाग का है, इसमें निगम की कोई भूमिका नहीं रहेगी। एम.पी.एग्रो की जवाबदेही मात्र उन्हीं प्रकरणों में रहेगी जिसमें सामग्री एम.पी.एग्रो के माध्यम से कृषक को प्रदायगी की जावेगी एवं कृषक अंश राशि एम.पी.एग्रो के खाते में प्राप्त होगी। यदि कृषक द्वारा सीधे कम्पनी से सामग्री कय की जाती है एवं कृषक अंश राशि सीधे कम्पनी के खाते में भुगतान की जाती है तो एम.पी.एग्रो की कोई जवाबदेही नहीं होगी।



3. **आदेश की प्रक्रिया** : जिला प्रबंधक, उद्यानिकी विभाग/कृषि विभाग/अन्य विभाग से प्राप्त मांग एवं मांग में अनुशासित प्रदायक/निर्माता कम्पनी तथा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को आदेश हेतु मांग अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के पक्ष में प्रदाय आदेश जारी किया जावेगा।

- (अ) प्रदाय आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्तें, प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTIN नम्बर आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।
- (ब) प्रदाय आदेश में प्रदायगी की समयसीमा का उल्लेख किया जावे। जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।
- (स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरुद्ध है एवं अनुदान योजनांतर्गत कृषक को प्रदाय किये जाने हेतु कृषक अंश राशि एम.पी.एग्रो के खाते में प्राप्त हो गयी है।
- (द) क्षेत्रीय प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि क्रेता विभाग द्वारा मांग में कम्पनी का नाम मॉडल एवं अन्य विवरण का उल्लेख हो। क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा प्रदाय आदेश जारी करने के पूर्व प्रदाय किये जाने वाले कृषि यंत्रों की विक्रय दर क्रेता विभाग को प्रस्तुत कर क्रेता विभाग से पुष्टि करने के पश्चात् ही प्रदाय आदेश जारी किया जावे।

4. **सामग्री की प्रदायगी** – सामग्री की प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।

- (A) प्रदायक द्वारा निगम के आदेशानुसार अधिकतम 30 दिवस के अंदर सामग्री प्रदाय करनी होगी। प्रदायक द्वारा उचित कारण दिये जाने पर यह समय-सीमा बढ़ाई भी जा सकती है।
- (B) आदेशित सामग्री का प्रदाय क्रेता विभाग को करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का पोस्ट डिलेवरी इंस्पेक्शन (पीडीआई) रिपोर्ट जिसमें मेक, मॉडल, मैन्युफेक्चरिंग वर्ष इंजन नंबर, चैसिस नंबर निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।
- (C) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित सामग्री के प्रदाय के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा।
- (D) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिटर्न GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।
- (E) यंत्रों के रख-रखाव एवं परिचालन के संबंध में प्रदायक द्वारा संबंधित क्रेता विभाग/क्रेता को विधिवत प्रशिक्षण प्रदान किया जाना आवश्यक होगा।

6. **सामग्री की गुणवत्ता**—एम.पी.एग्रो के माध्यम से विभाग/कृषकों को प्रदाय की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता के लिए प्रदायक/निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। निर्माता द्वारा जो सामग्री प्रदाय की जावेगी वह एम.पी.एग्रो द्वारा जारी दर सूची अनुसार रहेगी। गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबंधक को अवगत करायेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो अनुबंध एवं आर.सी.ओ. की शर्तों के अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

7. **प्राइज़ फार क्लॉस** – निगम के माध्यम से प्रसारित की जा रही विक्रय दरें किसी अन्य शासकीय संस्था/उपक्रम अथवा बाजार में कम्पनी की विक्रय दरों के समतुल्य है। यदि भविष्य में बाजार अथवा अन्य संस्था में विक्रय दरों का कम होना निगम के संज्ञान में आता है तो प्रदायकर्ता द्वारा निगम के साथ किये गये अनुबंध दिनांक से उक्त स्थिति के प्रमाणित होने तक प्रदाय की गयी समस्त सामग्री पर वही दर लागू मानते हुए अंतर की राशि की वसूली प्रदायक के लंबित देयकों से की जावेगी। साथ ही निगम प्रदायक के अनुबंध को निरस्त करने हेतु निगम स्वतंत्र रहेगा, जिसके लिए प्रदायक स्वयं उत्तरदायी रहेगा।



8. **भुगतान** - प्रदायक के देयक का भुगतान आदेशानुसार सामग्री प्राप्त होने के उपरांत संबंधित विभाग/क्रेता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, निगम को पूर्ण राशि (कृषक अंश + अनुदान राशि) प्राप्त होने पर "भुगतान पश्चात् भुगतान" की शर्त पर 15 दिवस में निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा।
9. **दरों की एक मात्र मान्यता** : संलग्न कय-विकय दरें पत्र प्रसारण की दिनांक से आगामी 03 माह (अर्थात् दिनांक 18.06.2026 से 17.09.2026) तक वैध रहेंगी। अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से प्रदायगी हेतु हैं, किसी अन्य विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।
10. **सामग्री की वारण्टी** : यंत्रों में मेन्युफेक्चरिंग डिफेक्ट पर प्रदाय दिनांक से 1 वर्ष की वारण्टी अवधि अथवा कम्पनी की पॉलिसी अनुसार जो भी अधिक हो रहेगी। शिकायत प्राप्त होने पर कम्पनी द्वारा 10 दिवस में शिकायत का निराकरण करना होगा।

प्रतिलिपि :-

874  
30/06/26

प्रबंधक (विपणन)  
30/06/26

1. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. निज सचिव, संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, वी-ब्लॉक, गौतम नगर, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. निज सचिव, संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
4. निज सचिव, संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, छठवीं मंजिल, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
5. निज सचिव, कलेक्टर (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
6. निज सचिव, प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. विभागाध्यक्ष (समस्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
8. कम्प्यूटर कक्ष, मुख्यालय, भोपाल की ओर भेजकर लेख है कि उक्त परिपत्र निगम की वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
9. **M/S SHREE RAM ELECTRIC CO ADDRESS - RAJKOT - JAMNAGAR HIGHWAY, MARUTI NAGAR, NEAR SATVARA SAMAJ, JODIYA ROAD, DHROL - 361210 DIST. JAMNAGAR (GUJARAT) CONTACT PERSON - AKSHAY DOBARIYA AUTH. SIGNATORY : 9157538842 E-MAIL : shreerameleco@yahoo.com**



प्रबंधक (विपणन)  
30/06/26